



छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2025

रायपुर, दिनांक

/

/2025

//संशोधित कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, माननीय प्रधानमंत्री जी के SPG सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुये सचिवालयीन आदेश क्रमांक 14006/वि.स./स्था./2025 दिनांक 23.10.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए लोकार्पण समारोह दिवस दिनांक 01 नवम्बर, 2025 (शनिवार) को नवीन विधान सभा सचिवालय में कार्यालयीन समय प्रातः 08:00 बजे के स्थान पर प्रातः 07:00 बजे से कार्य समाप्ति तक रहेगा।

उक्त तिथि को समस्त अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी सफेद रंग (प्राथमिकता) अथवा हल्के रंग की प्लेन शर्ट के साथ, नीला/काला रंग (प्राथमिकता) अथवा गहरे रंग की पैंट के ऊपर नवीन प्रदायित ब्लेजर अनिवार्यतः धारित कर तथा वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किये गये निर्धारित वर्दी, जूते एवं टोपी पहन कर दृष्टव्य रूप से अपना सचिवालयीन परिचय पत्र एवं लोकार्पण समारोह हेतु जारी पृथक परिचय पत्र तथा रजत जयंती संबंधित बैच अपने गणवेश में दृष्टव्य स्थान पर अनिवार्य रूप से धारित करेंगे।

दिनांक 01 नवम्बर, 2025 को संलग्न सूची अनुसार वाहन शाखा द्वारा निर्धारित समय, मार्ग, स्टॉपेज अनुसार विभिन्न बस विधान सभा परिसर/विधान सभा भवन से प्रस्थान कर प्रातः 07:00 बजे नवीन विधान सभा भवन पहुँचेगी। समस्त अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित बस/स्टॉपेज से ही बस से आवागमन करेंगे। समस्त बस में सामने की सीट बायें तरफ महिलाओं के लिए तथा दायें तरफ पुरुषों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारीगण तथा तत्पश्चात् अन्य के लिए बैठने की व्यवस्था रहेगी।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम संलग्न सूची में नहीं हैं, वे अवर सचिव (वाहन) से शीघ्र संपर्क कर उनके लिए निर्धारित बस/बस स्टॉप की जानकारी प्राप्त कर लें।

संलग्न :- सूची।

आदेश से,

हस्ताक्षर

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

(6)

//2//

पृ. क्रमांक 14306 वि.स./स्था./2025
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 30/10/2025

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. अवर सचिव(वाहन), छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।

A. G. B. 30/10/25

प्रशासकीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा